मध्यप्रदेश विधान सभा

नवम्बर–दिसम्बर, 1994 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 5 दिसम्बर, 1994 (अग्रहायण 14, 1916)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री बी.आर. यादव, वनमंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का 12वां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे वर्ष 1986-87 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री प्रताप सिंह बघेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 95 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं पटल पर रखेंगे :-

(क) क्रमांक 1508-2128-बाईस-पं.-2-94, दिनांक 16 सितम्बर, 1994.
(ख) क्रमांक 1626-2444-बाईस-पं.-2-94, दिनांक 10 अक्टूबर, 1994.

(3) श्री शिव नेताम, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन, मध्यप्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1981 (क्रमांक 37 सन् 1981) की धारा 17 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-4-1-1992-एक-10, दिनांक 19 अक्टूबर, 1994 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) डॉ. गौरीशंकर शेजवार, सदस्य, रायसेन वन मंडल के कुंवरखेड़ी व बाड़ादेवरी ग्राम में वन कर्मियों द्वारा लकड़ी की अवैध कटाई करने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री जनकलाल ठाकुर, रामलखन शर्मा, कंकर मुंजारे, सदस्य, भिलाई के आसपास के कारखानों में कार्यरत हजारों श्रमिकों को गिरफ्तार कर प्रताड़ित किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री प्रताप सिंह बघेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1994 (क्रमांक 35 सन् 1994) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

निर्धारित समय

5. प्रतिवेदनों पर चर्चा

1 घन्टा 30 मि. (1) इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर की वैधानिक ऑडिट रिपोर्ट/उत्तर एवं बोर्ड की टिप्पणी वर्ष 1990-91 (अनुभाग-1) पर चर्चा.

1 घन्टा 30 मि. (2) जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर की वैधानिक ऑडिट रिपोर्ट/उत्तर एवं बोर्ड की टिप्पणी वर्ष 1986-87 (अनुभाग 1,2, व 3), 1987-88 (अनुभाग-1), 1988-89 (अनुभाग 1 व 2), 1989-90 (अनुभाग 1 व 2); तथा वर्ष 1990-91 पर चर्चा.

भोपाल :
दिनांक : 4 दिसम्बर, 1994

शीला खन्ना
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा